मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल 462004

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 03.5.2008

क्रमांक एफ 1–29/2008/20–1: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2001 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका संविदा शाला शिक्षक (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2001 के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाए :–

1. भर्ती नियम, 2001 के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों को भी मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) संशोधित नियम, 2003 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका संविदा शाला शिक्षक (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) संशोधित नियम, 2003 के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों के अनुरूप अध्यापक संवर्ग में दिनांक 01.04.2007 से नियुक्त कर इनकी वरीयता संशोधित नियम, 2003 के तहत नियुक्त संविदा शिक्षकों के ऊपर निर्धारित की जाए।
2. इनके नियुक्ति आदेश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि **अध्यापक संवर्ग में इनकी नियुक्ति मान. सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक–3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी।**
3. अध्यापक संवर्ग में इनकी नियुक्ति शासन द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 1–42/2008/20–1, दिनांक 15.4.2008 में दिये गए वस्तुपरक मूल्यांकन एवं वस्तुपरक मूल्यांकन प्रपत्र के अनुसार की जाए।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनोज झालानी)
सचिव
म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ 1–29 / 2008 / 20–1

भोपाल, दिनांक 03.5.2008

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, म.प्र.शासन, ।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन।
3. निज सहायक, मान. मंत्री जी / राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा, म.प्र. शासन।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय , भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,मंत्रालय,भोपाल ।
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,मंत्रालय,भोपाल ।
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल ।
8. समस्त, संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
9. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
10. आयुक्त, जनसम्पर्क मध्यप्रदेश भोपाल।
11. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल ।
12. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, म.प्र. भोपाल ।
13. समस्त, संयुक्त संचालक, शिक्षा संभागीय कार्यालय, म.प्र.।
14. समस्त, सहायक आयुक्त / जिला संयोजक आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. ।
15. समस्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायत, म.प्र. ।
16. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म.प्र. ।
17. समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।

सचिव

म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग